न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–156/2014–15 अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

श्री राजेन्द्र

बनाम

श्रीमती बेगमा व अन्य

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री ललित कुमार उपध्याय।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री पी0के0 गर्ग।

बावत

मौजा गाजीवाली, परगना नजीबाबाद,
तहसील व जिला हरिद्वार।

निर्णय

यँह निगरानी विद्वान कलक्टर, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–06/201–11 अन्तर्गत धारा–115पी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम बेगमा बनाम प्रदीप आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 16–03–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदाता श्रीमती बेगमा ने कलक्टर के समक्ष इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वह भूमिहीन खेतीहर मजदूर है तथा मल्हा जाति से है। ग्राम गाजीवाली में भूमि प्रबन्धक समिति कांगडी द्वारा आवंटन प्रस्ताव से विपक्षीगण को आवंटन किया गया है उसे आवंटन नहीं किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा है। उसके द्वारा आवंटन प्रस्ताव निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। विद्वान कलक्टर ने उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त वादिनी का वाद निर्णयादेश दिनांक 16–03–2015 से स्वीकार कर तहसीलदार, हरिद्वार को निर्देशित किया गया कि वादिनी जिस खसरा नम्बर पर काबिज है का पूर्व आवंटन निरस्त करते हुए उसे अन्यत्र स्थान पर आवंटन करें तथा वादिनी को काबिज खसरा नम्बर पर नियमानुसार भूमि आवंटन किया जाय। कलक्टर द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 16–03–2015 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस विस्तार से सुनी एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों को भूमि प्रबन्धक समिति कांगडी ने ग्राम गाजीवाली में विधिवत आवासीय आवंटन प्रस्ताव दिनांक 16–04–2007 से किया गया था जिसकी स्वीकृति उप जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 26–04–2007 को दी गई थी। प्रश्नगत आवंटित भूमि पर निगरानीकर्ता एवं अन्य आवंटियों द्वारा निर्माण कर लिया गया है, परन्तु प्रतिउत्तरदाता श्रीमती बेगमा ने इस आवंटन के विरूद्व कलक्टर के न्यायालय में वाद योजित कर आवंटन निरस्त करा दिया जबकि मौके पर उसका कोई कब्जा नहीं है। कलक्टर द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व आवंटियों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है अतः कलक्टर का आक्षेपित आदेश निरस्त होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि प्रतिउत्तरदात्री का मौके पर कब्जा है और उसको प्रश्नगत खसरा नम्बर का आवंटन न कर भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया। इस आवंटन प्रस्ताव/स्वीकृति के विरूद्व उसने कलक्टर के समक्ष वाद योजित किया जिसे कलक्टर ने स्वीकार कर तहसीलदार को यह निर्देश दिए कि प्रश्नगत खसरा नम्बर पर पूर्व आवंटन निरस्त कर उसे किसी अन्य स्थान पर आवंटित किया जाय एवं प्रतिउत्तरदात्री बेगमा को उस खसरा नम्बर पर आवास हेतु भूमि आवंटन किया जाय जिस पर वह काबिज है। कलक्टर के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिउत्तरदाता श्रीमती बेगमा ने भूमि प्रबन्धक समिति एवं उप जिलाधिकारी के स्वीकृत आवंटन के विरूद्व कलक्टर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। विद्वान कलेक्टर ने वाद स्वीकार कर तहसीलदार को प्रतिउत्तरदात्री श्रीमती बेगमा के कब्जे के खसरा नम्बर पर हुए पूर्व आवंटन को निरस्त करते हुए उसे किसी अन्य स्थान पर आवंटन किए जाने एवं श्रीमती बेगमा को उसके कब्जे के खसरा नम्बर पर भूमि आवंटित किए जाने के आदेश पारित किए गए जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी श्रीमती बेगमा का जिस खसरा नम्बर पर कब्जा/आवासीय मकान बना हुआ है वहाँ पर यदि अन्य कोई आवास हेतु आवंटन हुआ हो तो उस आवंटन का रद्द कर उसे अन्य जगह पर आवास हेतु भूमि आवंटित की जाय। आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वंय इस गाँव में जाकर आवंटन प्रस्ताव दिनांक 16–04–2007 से जिन–जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है उनका सत्यापन कर यह सुनिश्चित करें कि उनके बीच जो आपसी विवाद है उनका मौके पर निस्तारण करें तथा कृत कार्यवाही से एक माह अन्दर परिषद को भी अवगत करायें।

आदेश

बलहीन होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति जिलाधिकारी, हरिद्वार एवं आयुक्त गढ़वाल मण्डल को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 29/07/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।